डोक - रुपय की पूर्व अदायगी के विसा डाक द्वारा भेज जाने के लिए अनुमन अनुमिन पत्र के भौपाल-505/ डब्ब्यू पी



पजी क्रमांक भोपाल दिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमावः 471]

भोपाल, सोमवार, दिनाक 30 सितम्बर 1996-आध्रिवन 8, शक 1918

उच्च शिक्षा विभाग मत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भाषाल, दिनाक 30 सितम्बर 1996

क्र एफ-73-6-96-मी-3-36.—णासकीय महाविद्यालया के प्रवधन में जन भागीदारी की दृष्टि से णासन द्वारा नुम्मलिखित निर्णय लिया गया है —

- (क) शासकीय महाविद्यालयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उनके स्थानीय प्रवधन को एक समिति का सीपा जाएगा यह समिति "मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973" के अन्सर्गत प्रजीकृत की जाएगी
- (स) इस सिमित को यह अधिकार होगा कि यह महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिये स्थानीय गागरिकों से स्वेच्छिक रूप में ससाधन एकत्रित करें, विभिन्न गतिविधियों पर फीस लगाए या वढ़ाए आर कन्सलटेंसी आदि के धन एकत्रित करें. उन ससाधनों का उपयोग यह सिमित महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के लिये कर संकर्गा. सिमित जन सहयोंग क जिर्दे महाविद्यालय में अच्छा वौद्धिक पर्यावरण बनान में सहायक होगी. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत जा शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिये गये हैं, उनकी प्रवध सिमित को अकादिमक मार्गों में भी स्वायनला होगी, अर्थात ऐसी सिमितिया स्थानीय स्तर पर प्रवेश नियम दलायेगी, पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेगी अध्ययन-अध्यापन परीक्षा संघालन एवं मृल्याकन की गई पद्धितयों का विकास करेगे.
- (ग) समिति के कार्य कलापों का प्रवधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियत्रण में किया जायेगा यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी. इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया प्रायेगा. राज्य शासन संबंधित नगर निकाय, जनपद पंचादन एवं जिला पंचायत के सदस्य, विधायक अथवा गासद में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त

करमा. भागान्य परिषद् का जपाध्यक्ष कुलैक्टर अथवा जनका प्रतिनिधि होगा. सामान्य परिषद् में विद्याः सासद अथवा जनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होगे

इस परिषद् म मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने काले स्थानीय समठन, उद्योग, अभिनार पूर्व विद्याविया, स्थानीय संस्थाओं, दान-दाताओं, कृपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं पीक्स श्राल आदि के प्रावनिधि भवस्य होगे. सामान्य परिषद् में अभिभायको एवं पूर्व छात्री के दी हो प्रवितिधि है

अनुमृचित जाति, अनुमृचित जनजाति, पिछाड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग भा एक अभिभाषक, जिसके कीई सहस्य » श्रेणिया म न आये हो, परिषद् का सदस्य नामाकित किया।जायेगाः

पारपद् में एक महिला अभिभाषक को सबस्य नामाकित किया जायेगा थिंद अन्य किसी श्रेणी में महिला ने आई : दानदाताओं के पार्थानीध का नामाकत निम्नालिकित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया जाएगा -

- दस हजार से कम आवादी वाले क्षेत्रों ढारा दस हजार रुपये से अधिक दान देने थालों में स.
- दस हजार से पचास हजार तक की आबादी वाले स्थान में कपये पच्चीस हजार से अधिक दान दे-वालों में से.
- पचास हजार में एक लाख तक ं। आबादी वाले क्षेत्रों में, रुपये पचास हजा, से अधिक दान देने वालों मंं
- 4. एक लाख स अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक दान देने वालों में से. सामान्य परिव म नामजद किये जाने वाले प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामजद किये जाएं. महाविद्यालय के प्राचार्य र सामान के सदस्य सचिव होंगे.

साधारणत सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होगी. आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेरों। परिषद् नीति-निर्धारण के साथ ही महाविद्यालय की गतिविधियों की सामान्य रूप से देखरेग करेगी। परिषद् के कार्य-कनापों को प्रक्रिया विस्तृत रूप से निर्धारित कर दी गई है ताकि परिषद् के सचालन म किसी प्रकार की काठनाई न हो

- (घ) सामान्य परिपद् के अतिरिक्त समिति के कार्य कलापों के समुचित प्रयंधन के लिये प्रवंध समिति एवं वित समिति भी होगा.
- (इ) प्रवध समिति सभी प्रवध सवधी मामलो के लिये जिम्मेदार होगी तथा यह सामान्य परिपद् के कार्य सम्मादन में भी सहायक होगी. सामान्य परिपद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा. सभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिलाध्यक्ष एवं अन्य महाविद्यालयों में जिलाध्यक्ष होगा. सभागीय मुख्यालय शास्त्री उपाध्यक्ष होगे. महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होगे. लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख महाविद्यालय के दो शिक्षक, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि दानदाताओं, एक अशासकीय संगठन तथा स्थानीय औद्योगिक स्थाठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होगे. प्रदासित की बेठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु तीन भाह में कम से कम एक बार अवश्य होगे.

(व) वित्त सामिति के अध्यक्ष प्राचार्य होगे. वैकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी व्यक्ति, महाियालय के दो विरिष्ठ क्रिक्षक, सविधित कोपालय अधिकारी या इनके द्वारा मनोनीत उप कोपालय अधिकारी इस समिति के सदस्य होगे. वित्त सामात महाविद्यालय में वित्तीय अनुशासन बनाय रखने के कार्य में सहायता करेगी.

(छ) समिति द्वार : 'नाठ रूप से एकत्रित किये गये वित्तीय ससाधनों को किसी अनुसूचित बैंक में समिति की निधि के रूप में रखा जायेगा. दें। निधि का व्यय समिति द्वारा स्वयं निधिरित नियमी प्रक्रिया के अनुगर

महाविद्यालय की अधीसरचना के विकास के लिये किया जायेगा सभ्या की निधि को लेख ।रीक्षण सामान्य परिषद् व द्वारा नियुक्त चार्टड अकेक्षणी द्वारा प्रतिवर्ध किया जायेगा । प्रविद्यालय को राज्य भागन से प्रान्त सभी राणिया की व्यय व्यवस्था एवं लेखा सधारण तथा अकेक्षण भासकीय नियमानुसा होगी.

- समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा. सोणल, गेंदरिंग, निर्वाचन, स्वागत. विज्ञापन जेंगी गेर अकारोमक गांतिविधियों के लिये नहीं किया जाएगा. इसके लिए नियम बनाये जायेगे.
- मामति द्वारा निर्धारित कि जा शुल्क । वृद्धि की जा सकती, तथा समिति सथै शुल्क भी जना र वर्गी और आयु वृद्धि क अन्य क्षाय भी कर सकैनी, ये सभी अतिरिवत आय समिति की निधि म सम्मिक्त की जाए की
- (त्र) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालयं अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी श्लोपत कर दिये गये हैं जुनमें अकादिमिक परिपद् और अध्ययन मण्डल भी होगे. अकादिमिक परिपद एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालयं के अकादिमिक कार्य कलापों में स्वायत्तता एवं समुचित प्रवध को सुनिश्चित करेंगे इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषओं तक हो सीमित रहेगी.
- (श) समिति अपने कार्य के लिये कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगी। महाविद्यालय के किसी एक कर्मवारी को ही समिति की राणि में में मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेगी.
- (ग) महाविद्यालय क णाचाय एव महाविद्यालय के सभी प्रीक्षणिक एवं अप्रीक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तिया राज्य प्राप्तन ब्रास प्राप्त गर्में में वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेगी. निविध्य में ये अधिकार उन समितिया को दियं आयेग, जिनकी उपलब्धिया उन्नेयनीय होगी, परन्तु प्राप्तन की अनुभाष के विना विभी नये पर का निर्माण नहीं किया जा सकेगा.
- (व) मध्यप्रदेश सामादटा रजिस्ट्रीकरण अधिनयम, 1973 के प्रावधानी के आंतरिन्त याद शासन राहेगा वो नानात ৰ্বা জা : करा महार, ও एसा निर्देश है भक्ता जमा भासन उपयुक्त समझता है.
- (द) यह व्यवस्था प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में लागू की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. ढी. अग्रवाल, उपसचिव.

समिति का ज्ञापन

...... 1. समिति का पंजीयित कार्यालय में होगा 2. समिति की स्थापना का उद्देश्य 3. महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करना. विभिन्न गतिविधियों एवं विषयों के अध्ययन के लिए शुल्क लगाना/ बढ़ाना और कन्सलटेन्सी आदि से धन एकवित करना । इस प्रकार जुटाये गयें संसाधनों का उपयोग जन सहयोग के जरिये महाविद्यालय में अच्छा वौद्धिक वातावरण बनाने के लिए करना । स्वशासी महाविद्यालयों के मामले में सपिति के निम्न अतिरिक्त उद्देश्य भी होंगे-अध्ययनक्रमां और पाठ्यक्रमां का निर्धारण जासन के आरक्षण नियमों के अध्याधीन प्रवेश नियमों की रचना (语) परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की पद्धतियों का विकास मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संख्या 44 सन् 1973) के प्रावधानों के आर्तिरक्त समिति के 4. काम-काज के पुनरावलोकन हेतु राज्य शासन किसी एक या एकाधिक व्यक्तियों की नियुक्ति जांच-परम्व के लिए कर सकता है । ऐसे व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा समिति के मामलों की जांच के आधार पर राज्य शासन ऐसी कार्यवाही कर सकता है या ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो आवश्यक समझे और सिमिति ऐसे निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगी। महत्वपूर्ण नीति और कार्यक्रमों के संबंध में राज्य ज्ञासन आवश्यकतानुसार संबंधित समिति को निदं रा भी दे सकेगा ।

5. समिति के कार्य-कलापों का प्रबंधन सामान्य परिपद् के निर्देश एवं नियंत्रण में विनियमों के अन्तर्गत प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा । समिति की सामान्य परिपद, जो कि सर्वोच्च सभा है, के प्राथमिक सदस्यों की नामावली और पते निम्नलिखित है:-

鋉.	नाम	पता	पद
1.	,	सर्वधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकाय के सदस्य, विधायक या सांमद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष
- 2.		कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि	उपाध्यक्ष
3.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का संसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदम्य
-4 .		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदम्य

7. हम	भनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते	करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, स्थानीय संग्थाओं, दानदाताओं, कृपकों, एवं पोपक जालाओं के एक एक प्रतिनिधि अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो नदी प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हो । एक महिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य महाविद्यालय का प्राचार्य भिनियम, 1973 (क्रम संख्या 44 सन् 1973) की थाय 6 व संस्था के विनियमों की एक प्रमाणित प्रतिलिधि संलयन	1
7. 8. 9. 40. 6. 中四 相相 7. 家中 常 a	भनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते	प्रतिनिधि अनुसृचित जाति, अनुसृचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हो । एक पहिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में पहिला न आई हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पनोनीत सदस्य पहाविद्यालय का प्राचार्य भिनियम, 1973 (ग्रन्म संख्या 44 मन् 1973) की भाग 6 व	महस्य महस्य महस्य स्थि वे उपभाग (३) वे स
8. 9. - 10. 6. पध्य समि 7. हम है त	भनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते	पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों । एक महिला अभिभावक, यदि अन्य कियो श्रेणी में महिला न आई हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य महाविद्यालय का प्राचार्य भिनियम, 1973 (ग्रन्म संख्या 44 मन् 1973) की भाग 6 व	महम्य महम्य महायः मशि
9. • 10. 6. मध्य समि 7. हम है त	भनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते	श्रेणी में महिला न आई हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य महाविद्यालय का प्राचार्य भिनियम, 1973 (क्रम संख्या 44 मन् 1973) की भाग 6 व	महम्य । महस्य मधि वी उपभाग (३) वे स
7 10. 6. 中四 共年 7. ま中 常 元	भनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते	द्वारा मनोनीत सदस्य महाविद्यालय का प्राचार्य भिनियम, 1973 (क्रम संख्या 44 मन् 1973) की भाग 6 व संस्था के विनियमों की एक प्रमाणित प्रतिविधि स्टब्स	मदाय माधि वी उपभाग (३) वे स
6. मध्य समि 7. हम है त	भनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते	भिनियम, 1973 (क्रम संख्या ४४ सन् 1973) की भाग 6 व	ही उपभाग (३) वे व
7. हम है त	भनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते	or at a lateral de tre deline de de la constante de la constan	ही उपभाग (३) वे स
हैं त	वाक ज्याक । जनक नाम और परे	जीने जिले में किस्ता है।	
<u>a.</u>	Upilyli-11 11	नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण, उपयुक्त ज्ञापन के अ साक्षियों की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किये हैं:-	ह । नुसार करने के इच्छ
-	अंशदाता का नाम	प्रता	21210
1.			हरतास्य
2.			
3.			
4.			
5.			
6.		*	
7.			1
8. हम र भी घे	स्थोहरताक्षरित यह प्रमाणित करते पणा करते हैं, कि हम संस्था के र	हैं, कि हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने हस्ताक्षर हमारे समक्ष ग्दस्य नहीं हैं ।	अवित्र किए हैं। इ
1.	गम	पता	
	- FI		

क्र. 🔻	नाम	पता	पट
1.	17	संयंभित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकाय के सदस्य, विधायक या गांसद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त ठयक्ति	3112481
2.		कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि	उपाः यक्ष
3.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का संसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदम्य
5.	*	प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, स्थानीय संस्थाओं, दानदाताओं, कृपकों, एवं पोपक शालाओं के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
б.	7.	अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि	मदम्य
7.		अनुमृचित जाति, अनुसृचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों	पटाय
3.		एक महिला अिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो	सदम्य
).		विञ्चविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य	सदम्य
10.		महाविद्यालय का प्राचार्य	सदस्य सचिव

टीप- क्रमांक 5,6,7 एवं 8 के अन्तर्गत् नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जायेगे

- (3) सिपिति की सामान्य परिषद् निम्नलिखित कर्तन्त्रों का पालन करेगी, अर्थात्:-
 - (क) महाविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण
 - (ख) पूर्व में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का समय-समय पर पुनरीक्षण
 - (ग) विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिये छात्रों द्वारा देय शुल्क दरों की संरचना तथा अन्य भुगतानों का निर्धारण
 - राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निधियों के अलावा निजी संसाधनों से अनुपूरक निधियों के अर्जन की विधियाँ खोजना
 - (इ) सिपिति के वार्षिक वितीय अनुमान पर विचार करना, उन्हें आंगोकृत करना

विनियम

•••••	सिमिति मध्यप्रदेश के विनि
i	सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 6(3) के अधीन परिभाषाऐ:- इन विनियमों, में, यदि विषय या प्रसंग के अनुसार अन्यथा अभीष्ट न हो तो
ų	(क) महाविद्यालय से तात्पर्य है, (नाम) पाराविद्यालय स्थानीय प्रवंधन स्थानीय स्थानीय का वुल्पिति स्थानिय से तात्पर्य है, (नाम) विश्वविद्यालय का वुल्पिति ज्ञायार्य से तात्पर्य है, संवंधित महाविद्यालय का प्राचार्य स्थानीत की संस्वना निम्नानुसार होगी:- (1) सामान्य परिषद् (2) प्रवन्थ स्थिति
गान्य १	(3) वित्त सिमिति सिमिति द्वारा समस्त नीति निर्धारण एवं कार्य संचालन के कार्य उक्त सभाओं के माध्यम से किया जाएगा । परिपद पिमिति के कार्यकलापों का प्रवंधन सामान्य परिपद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जाएगा । यह सिमिति की सर्वोच्
	Carryon I

सामान्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगें:-

- समिति के वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं स्थिति विवरण पर विचार करना और उन्हें अंगीयून
- प्रयथ समिति की अनुसमा पर छात्रवृत्तियाँ, अध्येत्तावृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदको, पारितोषको तथा प्रमाण-प्रों (3)
- आगामी वर्ष के लिये संस्था के लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिय का निर्धारण
- यदि आवण्यक हो तो समिति के विनियमों में संशोधनों का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजना ।
- महाविद्यालय की किसी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण ध्वीकृति हेत् राज्य शासन की
- नामान्य परिपद् के कार्य संचालन की प्रक्रिया:-(4)
 - साधारणतः सामान्य परिपद की बैठक साल में दो बार होगी । आवश्यकतानुसार परिपद की विशेष बैठक भी बुर्ताई (F.)
 - सामान्य परिपद् की बैठक की सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान स्पष्ट अंकित होगें । बैठक की सूचना (E) प्रत्येक सदस्य को पंजीयत ड्रांक से कम से कम इक्कीस दिन पहले प्रेषित हो जानी चाहिए, किन्तु किसी विशेष वैठक के सदर्भ में अध्यक्ष इस समयावधि को घटा भी सकेंगें
 - परिषद् को किसी भी सभा के लिय अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी, परन्तु किसी भी स्थिभित बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी
 - परिषद् की प्रत्येक बेठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी और अध्यक्ष की अनुपरिधित में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभाविमें । अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थितः सदस्यगण अपने बीच में में किसी एक का चुनव कवल उस बैटक के लिये अध्यक्ष के रूप में करें में
 - अध्यक्ष संहत परिपद् के प्रत्येक सदस्य का एक-एक मत होगा । यदि किसी प्रकरण में दोनों पक्षों को वसवर मत प्राप्त होते हैं, तो उक्त स्थिति में अध्यक्ष का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा
- प्रत्येक वैठक के कार्यविवरण की प्रतिलिपि यथाशीच्र आयुक्त,उच्च शिक्षा की ओर अग्रेपित की जाएग। (5) सदस्यों की पंजी:-
 - र्म्हर्मात को सामान्य परिपद द्वारा <u>महाविद्यालय में अपने सदस्यों</u> की एक पंजी रखी जाएगी और समिति के अध्यक्ष (4.) सिंहत प्रत्येक सदस्य उसमें अपने हस्ताक्षर करेगा । पंजी में प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय एवं पता अंकित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को पंजी में पूर्वोक्त प्रकार से हस्ताक्षर किये बिना अपनी सदस्यता के अधिकारों एवं विद्यापाधिकारों के उपयोग हेतु योग्य नहीं माना जायेगा
 - सामान्य परिपद के किसी सदस्य के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे समिति के सचिव को सृचित करना होगा, यदि वह अपना नया पता सूचित नहीं कर पाता तो उसका पूर्व पता ही उस पंजी में मान्य होगा
 - (ग) मामान्य प्रियद के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा तथा प्रत्येक मनोनीत सदस्य को पुर्नमनोनयन की पात्रता

प्रवंध समिति

सामान्य परिषद के अतिरिक्त समिति के कार्यकलापों का समुचित प्रवंधन, प्रवंध समिति द्वारा किया जाएगा । प्रवंध

समिति का गटन निम्नानुसार होगाः-

- (1)सामान्य परिपद का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा
- संभागीय मुख्यालय में स्थिति महाविद्यालयों में जिले का कलेक्टर एवं अन्य महाविद्यालयों में आयुक्त, उन्ह (2)शिक्षा द्वारा मनोनीत शिक्षाविद् उपाध्यक्ष होगें
- लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय का प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, जो मनोनीत किए जाएं म (3)विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सदस्य, जो प्राध्यापक स्तर से कम का न हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 🚉 दिल्ली द्वारा मनोनीत एक सदस्य, सामान्य परिषद् का अञ्चासकीय संगठन सदस्य, दानदाताओं एवं प्रथानीय औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे
- महाविद्यालय के प्राचार्य समिति के सदस्य सचित्र होगें मुनोनीत सद्भयों का कार्यकाल दो वर्ष की अविध के लिये होगा तथा इन व्यक्तियों को एक और कार्यकाल में पुन

प्रबंध समिति के कार्य

- 2. प्रयंध समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे, यथा:-
 - संस्था के उपनियमों के अनुसार शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कर्मचारी वृन्द में अनुशासन लागू करना और वनाए रखना, किन्तु संस्था में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये राज्य शासन के नियम की लागू गहेंग
 - महाविद्यालय के वित्तीय प्रवंध का नियंत्रण एवं निरीक्षण करना तथा व्यय के विनियमन हेतु उप नियम ((意)
 - प्राचार्य को ऐसे वित्तीय अधिकार प्रदान करना, जो समिति संस्था की निधियों के संदर्भ में उपयुक्त यमजे (E)
 - स्वदाासी महाविद्यालयों के मामले में अन्बदिमिक परिषद् तथा वित्त समिति एवं अन्य में वित्त समिति को अनुशंसा प्राप्त करने के बाद, महाविद्यालय के छात्रों द्वारा देय शुल्क एवं अन्य भुगतानी की सामान्य-परिपद को अनुशंसा करना
 - संस्थान की छात्रवृत्तियों, अध्येत्तावृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों, पारितोषकों एवं प्रमाण पत्रों को संस्थित करने की सामान्य परिषद को अनुशंसा करना
 - दान तथा विन्यास को स्वीकार करना
 - सामान्य परिपद के कार्य संपादन में सहायक होना, एवं (3)
 - संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक कार्यों का संपादन

प्रवंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी। किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी

समिति

- वित समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-1.
 - (1) प्राचार्य

वैकिग/वित्तीय कार्य में अनुभवी एक व्यक्ति जिसे प्रबंध समिति द्वारा दो वर्ष के लिये मनोनीत किया जाएगा

अध्यक्ष

- (3)
- पारीक्रम से दो वर्ष के लिये प्राचार्य द्वारा मनोनीत महाविद्यालय के दो वरिष्ठ जिशक महाविद्यालय, जिस जिले में स्थित है उसका कोपालय अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत (4) व्यक्ति जो उप कोपालय अधिकारी के पद से नीचे का न हो.

महाय

मदस्य

वित्त समिति के कार्य 2.

समिति के सभी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रकरणों में वित्त समिति महायक होगी, विशेषतः निग्नलिखित कार्यों पे.

- प्रवंध समिति के अनुमोदनार्थ समिति की निधि के व्यय हेतु उपनियमों का प्रारुप बनाना (1)
- वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (वार्षिक वजट) बनाना (2)
- यह मृतिष्टिचत करना कि वार्षिक बज़ट (वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन) आगापी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व सक्षम (3) अधिकारी/ निकाय द्वारा विरचित व अनुमोदित है
- वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय पर नियन्त्रण रखना एवं यदि आवश्यक हो तो बजट में संशोधन अनुशासित करना (4)
- (5)लेखा वहीं खातों और तत्संबंधी खातों का अपेक्षित और समुचित रख रखाव कराना
- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना एवं उसे अंकेक्षकों को अग्रेपित करना (6)
- (7)अंकिक्षित प्रतियेदनों पर विचार कर टिप्पणियाँ अंकित एवं प्रवंध समिति से अनुमोदित कराना
- सामान्य परिपद् के विचारार्थ अंकेक्षकों का पैनल प्रस्तावित करना, एवं (8)
- ऐसे सभी प्रम्तावों का परीक्षण व अनुजान जो पद रचना, पू जी एवं अन्य क्या की स्वीकृत से सर्वाधत हो (9)

निधि (3)

निम्नलिखित संस्था की निधि के भाग होगें:-

- विञ्चविद्यालयं अनुदान आयोग से प्राप्त समस्त राशियाँ 🍼 (क)
- (편) समस्त शुल्क एवं सिमिति द्वारा वसुल की जाने वाली अन्य राशियाँ
- वयक्तियों अथवा संस्थानों से अनुदान, उपहार, दान, सहायता राशि एवं वसीयत के रूप में प्राप्त सभी राशियाँ एवं (II) अन्य सभी प्राप्तियाँ । संस्था की निधि भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट 1934 (क्र.2 सन् 1934) में परिभाणित किसी अनुसचित बैंक में रखी जाएगी तथा इसका व्यय सामान्य परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट तथा प्रबंध मीमी त द्वारा इस हेत् वित्त समिति की अनुशंसा पर बनाए गए उपनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय क अधोमरचना विकास के लिए किया जाएगा

राज्य शासन से महाविद्यालय को प्राप्त सभी प्राप्तियाँ उनमें से व्यय, लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमों से शासित होगें । संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टड अंकेक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा । महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी।

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा । सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत जैसी गतिविधियों के लिये नहीं किया जायेगा । इसके लिए नियम बनाये जायेगें ।

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी । तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी । ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेगी ।

केवल स्वशामी पहाविद्यालयों के लिए

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित के दिये गये हैं उनमें अकादिमक परिपद् और अध्ययन मण्डल महाविद्यालय के आकदिमक परिपद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय के आकदिमक कार्य-कलापों में स्वायता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेगें । इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषज्ञ तक ही सीमित रहेगी ।

अकाद्मिक परिषद

(31) TROOM:-

1)	eterni :-	ii a	PAGE 1
	(1)	प्राचार्य	अध्यक्ष
	(2)	महाविद्यालय के सभी विभागों के वरिष्ठतम प्राध्यापक	सदस्य
	(3)	रीक्षणिक स्टाफ के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार शिक्षक, जिनका मनोनयन प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा विभग में सेवा की वरिष्ठता के आधार पर पारीक्रम में किया जायेगा	सदस्य
	(4)	प्रवंध समिति द्वारा मनोनीत महाविद्यालय से बाहर से कम से कम चार विशेषज्ञ जो उद्योग, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, चिकित्सा, अभियांत्रिकी. आदि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों	मदम्य
	(5)	विञ्चविद्यालय द्वारा मनोनीत तीन प्रतिनिधि	सःम्य
	(6)	प्राचार्य द्वारा मनोनीत एक शिक्षक	मदस्य मुचि

- (ब) मदस्यों की पदाविध :-मनोनीत सदस्यों की पदाविध दो वर्ष होगी
- (स) वैठकें : -प्राचार्य वर्ष में कम से कम एक बार अकादिमक परिषद की वैठक बुलाएगा
- (द) कृत्य:-अकादमिक परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, यथा
 - (1) अध्ययन मण्डलों द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों का परीक्षण करना और यथावत् अथवा किन्ही परिवर्तनों के माथ अनुमोदन करना। किन्तु यहाँ अकादिमक परिषद् किसी प्रस्ताव से असहमत हो तो ऐसे प्रस्तावों को पुर्निवचार के लिये संबंधित अध्ययन मण्डल को लौटाने या कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार होगा
 - (2) महाविद्यालयों में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश से संवंधित उप नियम वनाना
 - (3) परीक्षाओं के संचालन के लिये उप नियम बनाना
 - (4) महाविद्यालय के विद्यार्थियों के शिक्षण की गुणवत्ता, मूल्यांकन तथा छात्रों के मार्गदर्शक कार्यक्रमों में सुधार प्रक्रिया पहल करना
 - (5) खेलकूट तथा पाठयेत्तर गतिविधियों, छात्रावास तथा खेल मैदाना के उचित रख रखाव एवं संचालन के लिये उपनियम बनाना

- (6) प्रवश समिति को अध्ययन के नये कार्यक्रमों के प्रस्ताव लागू करने के लिये अनुशंसा प्रीयत करना
- िर अंतर समिति को छापवृत्तियों, अध्यतावृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पारितोषकों एवं पदको की अनुधमा करना एवं उन्हें पदान करने के लिये उपनियम बनाना
- (S) स्मिति को अकाद्मिक कार्यकलापों के विषय में प्रामर्श देना, एवं
- (0) कार्य समिति द्वारा प्रता अन्य कार्यो का संपादन करना

अध्ययन मण्डल

(31) 1111-1

(1) मंबिधत विभा का वरिष्ठतम प्राध्यापक

अध्यक्ष

(2) विभाग के प्रत्येक विशेषज्ञता का एक शिक्षक

सदस्य

(३) अन्वर्दामक परिपद् द्वारा मनोनीत विषय के दो विशेषश, जो नहाविद्यालय से बाहर के हों

भदस्य

(4) प्राचार्य द्वारा अनुशंसित छः व्यक्तियों के पैनल में से कुलपित द्वारा मनोनोत एक विशेषज्ञ । यह पैनल संवंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रस्तृत किया जायेगा

मदम्य

(5) जब भी अभ्ययन के विशिष्ट विषयों का निर्धारण किया जाना हो, अभ्यक्ष द्वारा प्राचार्य की सहमति से नामांकित महाविद्यालय के बाहर के विशेषत

मदम्य

(6) - मकाय के अन्य शिक्षक वृन्द

मुख्य

मनोनीत सदस्यों की पदाविष्
 मनोनीत सदस्यों की पदाविष् दो वर्ष की होगी ।

(स) वैठकें:-

विभिन्न विभागों के अध्ययन मण्डलों की बैठ में का कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित किया जायेगा। बैठक आवद्यकतानुसार कभी भी की जा सकेगी । परन्तु वर्ष में कम से कम एक बैठक अवस्य, होगी।

(२) कृत्यः-

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग के अध्ययन मण्डल के नीचे लिखे अनुसार कृत्य होगें:-

- (1) अकादमिक परिपद् को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के प्रयोजन से महाविद्यालय के उद्देश्यों एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण
- (2) नवानभपकारी शिक्षण पद्धतियाँ एवं मूल्यांकन प्रतिविधयाँ प्रस्तावित करना
- (3) अकादमिक परिषद को परीक्षकों की नियुक्ति हेतु नामों के पैनल प्रस्तावित करना, एवं
- (4) जोध, अध्यापन, विस्तार तथा विभाग/ महाविद्यालय की अन्य अकादमिक गतिविधियों का समन्वयन

सामान्य

(क) मंमिति द्वारा राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई नया पद निर्मित नहीं किया जायेगा और ने ही संगिति

अपने कार्य के लिए पृथक से कोई स्टाफ नियुक्त करेगी ।

- (ख) मिर्पात अपने कार्य संचालन के लिए महाविद्यालय के किसी कर्मचारी को ही मीपित की विधि में मानटक स्वीकृत कर सकेगी ।
- (ग) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी श्रैक्षणिक एवं अश्रैक्षणिक कर्मचारियों की नियु निया राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से शासन द्वारा वर्तमान नियमों के अनुमार की जावेगी, किन्तु भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिया जायेगा जिनकी उपलिध्या उत्माहजनक होगी परन्तु शासन की अनुमित के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा मकेगा ।
- (च) न्ध्यप्रदेश मोसायटी रिजस्ट्रीकरण अधिनिवम, 1973 के अवधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा है। सिर्पात की जांच करा संकेगा व ऐसा निर्देश दे संकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है।

विविध

समिति की ओर से एवं समिति के लियं किये गये सभी अनुबंध समिति के सचिव द्वाग मीमित के नाम पर क्रियान्वित किये जायेगें । समिति द्वारा अथवा समिति के किद्ध सभी वाद या प्रतिवाद मीमित के मीचव के नाम पर होगें ।

ः प्रमाणे धुत्र ःः

हम सभी अधारमाश्रीरत प्रपाणि	त करते हैं, कि उपयुक्ति विव	वरण …	 	
का मही एवं अध है विक्रण है।		समिति	 	···· के नियमे
				. !
कलेक्टर	प्राचार्य			अध्यक्ष

Government Mahamaya College, Ratanpur (C. G.)

सृजन 🐠

जनभागीदारी समिति

अध्यक्ष

, उपाध्यक्ष

3. सचिव पदेन

। सांसद प्रतिनिधि

द विधायक प्रतिनिधि

- श्री अनिल यादव

अपेक्षित (कलेक्टर प्रतिनिधि)

डॉ. आर.एस. खेर (प्राचार्य पदेन)

- अपेक्षित

- श्री सुभाष अग्रवाल

अध्यक्ष द्वारा मनोनित सवस्य:-

1. स्थानीय संगठन

2. उद्योगपति

3. दानदाता

4. क्षक

5. पोषक संस्था

6. अभिभावक

7. पूर्व छात्र

8. अनुसूचित जाति

9. अनुसूचित जनजाति

10. महिला अभिभावक

श्री दुर्गा कश्यप (बबलू)

- श्री अजय महावर

- श्री शेख वली उल्ला

- श्री तिरिध यादव

- श्री जय प्रकाश कश्यप

- श्री शुकवारा कश्यप

- श्री संतोष प्रजापति

- श्री महेन्द्र कश्यप

- श्री योगेन्द्र तंबोली

- श्री पवन पाठक

- श्रीमती सरित कमलसेन

- श्री रघुवीर आर्मो

- श्रीमती राजकुमारी कश्यप

जनभागीदारी प्रबंध समिति

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित प्रावधानानुसार महाविद्यालय जनभागीदारी सामान्य परिषद के कार्यकलापों के समुचित प्रबंधन हेतु निम्नानुसर प्रबंध समिति का गठन किया जाता है -

1.	अध्यक्ष (सामान्य परिषद अध्यक्ष)	-	श्री अनिल यादव
2.	उपाध्यक्ष	-	अपेक्षित (आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्)
3.	सदस्य सचिव	-	डॉ. आर.एस. खेर (प्राचार्य)
4.	सदस्य	-	श्री नायक, एस.डी.ओ., पी.डबल्यू.डी. कोनी, बिलासपुर
5.	सदस्य	-	डॉ. भावना कमाने (मनोनीत शिक्षक)
6.	सदस्य	-	डॉ. ए.के. लहरे (मनोनीत शिक्षक)
7.	सदस्य	-	डॉ.ए.एन. बहादुर (वि.वि. द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्)
8.	सदस्य	-	अपेक्षित
			(वि.वि. अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य)
9.	सदस्य	-	श्री दुर्गा कश्यप (मनोनीत परिषद अशासकीय संगठन)
10.	सदस्य	_	श्री शेखवली उल्लाह (मनोनीत दानदाता)
11.	सदस्य	-	श्री अजय महावर (मनोनीत स्थानीय औद्योगिक संगठन)

जनभागीदारी वित्त समिति

उच्च शिक्षा विभाग छ.ग.शासन द्वारा निर्देशित प्रावधानानुसार, महाविद्यालय जनभागीदारी सामान्य परिषद के लिये वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रकरणों में सहायता हेतु निम्नानुसार वित्तीय समिति का गठन किया जाता है -

- अध्यक्ष डॉ. आर.एस. खेर (प्राचार्य)
 सदस्य अपेक्षित

 (प्रबंध समिति द्वारा मनोनीत बैकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी)

 सदस्य डॉ. श्रीमती नंदिनी तिवारी (विरिष्ठ शिक्षक)
 सदस्य डॉ. श्रीमती अजरा कुरैशी (विरिष्ठ शिक्षक)
 सदस्य अपेक्षित (कोषालय अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य जो उ
- सदस्य अपेक्षित (कोषालय अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य जो उपकोषालय अधिकारी के पद से नीचे का ना हो)